(क) क्या यह सच है कि कर्णाटक सरकार ने वर्ष 2010 में भारत सरकार के अनुमोदनार्थ कर्णाटक पशुवध निवारण और पशु संरक्षण विधेयक, 2010 भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक को मंजूरी न देने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) : जी, हाँ। राज्य विधानसभा द्वारा पारित और कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर्नाटक पशु वध निवारण और पशु संरक्षण विधेयक, 2010 दिनांक 09.08.2010 को कर्नाटक राज्य सरकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के तहत भारत के महामहिम राष्ट्रपति के विचारण और मंजूरी के लिए प्राप्त हुआ था।**

**(ख): विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस विधेयक पर कतिपय टिप्पणियां की हैं, जिन्हें स्पष्टीकरण के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया था। राज्य सरकार का स्पष्टीकरण दिनांक 15.03.2012 को प्राप्त हो गया है।**